

## खण्ड—“ब”

परीक्षा की योजना :- यह परीक्षा तीन चरणों में होगी :-

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा
2. मुख्य परीक्षा व
3. साक्षात्कार।

### 1. ऑनलाइन प्रारंभिक (अनुवीक्षण) परीक्षा (150 अंक)

प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिये आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तियों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा।

एक— ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक समय/पाली व केन्द्र — प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन सेवा प्रदाता के द्वारा अपने पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से एक या एक से अधिक दिवसों में एक या एक से अधिक पाली (Shift) में ली जायेगी। परीक्षा की पालियाँ, दिनांक, समय एवं जिले बाद में अधिसूचित किये जायेंगे। एक से अधिक पालियों में परीक्षा होने पर प्रत्येक पाली (Shift) के प्रश्न पत्र के सेट अलग-अलग होंगे। किसी भी सेट के संबंध में परीक्षार्थियों को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र विभिन्न जिला मुख्यालय के शैक्षणिक संस्थान होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र के जिले के चयन का विकल्प दिया जायेगा परन्तु परीक्षा केन्द्र व जिले तथा परीक्षा पाली के बारे में अंतिम निर्णय ऑनलाइन सेवा प्रदाता का परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के संभावित जिले जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन आदि होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद, परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुये, परीक्षा केन्द्र व परीक्षा जिले कम या अधिक ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा किये जा

*mcsingh*  
*24*

सकेंगे। परीक्षा पाली, परीक्षा केन्द्र व परीक्षा जिले के आबंटन संबंधी ऑनलाइन सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

**दो – प्रवेश पत्र** – प्रवेश पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा अपनी वेबसाईट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट ([www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in)) के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंटआउट की सुविधा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

**तीन– ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :-**

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार है :-

स. क्र.	विषय (नवीनतम संशोधनों व अद्यतन जानकारी के साथ)	कुल प्रश्न	अंक
1	भारत का संविधान	10	10
2	सिविल प्रक्रिया संहिता	15	15
3	संपत्ति अंतरण अधिनियम	7	7
4	भारतीय संविदा अधिनियम	8	8
5	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम	6	6
6	परिसीमा अधिनियम	4	4
7	म.प्र.स्थान नियंत्रण अधिनियम	5	5
8	म.प्र. भू-राजस्व संहिता	5	5
9	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	15	15
10	भारतीय दंड संहिता	15	15
11	दंड प्रक्रिया संहिता	15	15
12	नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट	5	5
13	सामान्य ज्ञान	20	20
14	कम्प्यूटर ज्ञान	10	10
15	अंग्रेजी ज्ञान	10	10
<b>कुल</b>		<b>150</b>	<b>150</b>

*गति*

*व्य*

## चार – ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा प्रक्रिया :-

- (1) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर/विकल्प होंगे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न कर सकने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले प्रश्न पर वापस जा सकेगा इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय-सीमा 120 मिनट यानि 2 घण्टे की होगी। इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा।
- (2) **Mock Test (मॉक टेस्ट)**— आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) पर Mock Test (मॉक टेस्ट) (परीक्षा अभ्यास) की सुविधा उपलब्ध रहेगी एवं यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् शुरू हो जायेगी।
- (3) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन एवं बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। मूल फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर आवेदक को परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जावेगा। पहचान पत्र की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।
- (4) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक-एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। परीक्षा शुरू करने के पहिले आवेदक को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी।
- (5) इसके पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर /विकल्प दिखेंगे। आवेदक को इन चारों में से किसी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सेव कर सकता है। सेव करने के बाद उत्तर में सुधार या परिवर्तन नहीं होगा।

*mpc*

*es*

- (6) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

**पाँच – ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन एवं परिणाम :-**

- (1) परीक्षा होने के उपरान्त प्रस्तावित मॉडल उत्तर म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) पर उपलब्ध होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित मॉडल उत्तर के संदर्भ में कोई आपत्ति/सुझाव करना चाहता है तो वह वेबसाइट पर प्रस्तावित मॉडल उत्तर के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिवस के भीतर स्वयं द्वारा लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित अभ्यावेदन डाक या ई-मेल ([pregexamhcjbp@mp.gov.in](mailto:pregexamhcjbp@mp.gov.in)) द्वारा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर को संबोधित करते हुए आपत्ति/सुझाव जिसपर आधारित है उससे सम्बन्धित स्रोत/दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसा कोई अभ्यावेदन जो आवेदक ने स्वयं नहीं किया हो और जो कि बिना किसी दस्तावेजों/स्रोतों या सबूतों के हो अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त हुआ हो, विचारणीय नहीं होगी तथा बिना कारण बताये ऐसी आपत्ति/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा। 07 दिन की समयावधि के बाद प्राप्त कोई भी आपत्ति/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।

यदि प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी को अंतिम आदर्श उत्तर कुंजी मानते हुए और प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा।

- (2) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कम्प्यूटर आधारित होगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में अधिकतम लगभग 10 गुना (जो कम हो सकती है) अभ्यर्थी

श्रेणीवार (केटेगरीवाइस) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये योग्य/सफल घोषित किये जावेंगे, परन्तु समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जायेगा भले ही इस कारण उनकी संख्या 10 गुना से कुछ अधिक हो जाये, परन्तु यह भी कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 90 अंक एवं आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 82 अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

- (3) परीक्षा पूर्ण होने पर यथाशीघ्र ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/सफल पाये गये उम्मीदवारों की केटेगरीवाइस लिस्ट एम.पी. हाईकोर्ट की वेबसाइट पर इस सूचना के साथ अपलोड की जायेगी कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है आवेदक अपना परीक्षा परिणाम एवं प्राप्तांक अपनी ID एवं Password तथा उनके मोबाइल नंबर पर आये OTP से Login कर देख सकता है।
- (4) प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से 3 माह की अवधि तक अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका (रेस्पांस शीट) या उससे संबंधित जानकारी ऑनलाइन सेवा प्रदाता से विहित शुल्क अदा कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त कर सकेंगे तत्पश्चात् परिरक्षित नहीं रखी जाएगी।

**छ: – आवश्यक सूचना :-**


- (1) आवेदक को अपने चुने हुए परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अथवा कोविड-19 के कारण काल लैटर में दिये समय पर उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
- (2) आवेदक का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा/और फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा में बैठने दिया जायेगा।
- (3) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में दूसरी तिथि व समय परीक्षा हेतु नहीं दी जायेगी।

- (4) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, लिस्निंग डिवाइस, रिकार्डिंग डिवाइस, अलार्म वॉच तथा संचारी यंत्र इत्यादि ले जाना वर्जित होगा। आवेदक अपने साथ सिर्फ मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, पेन, पेन्सिल, फेस मास्क एवं सेनिटाइजर की छोटी शीशी ले जा सकेगा।
- (5) परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद निर्देशानुसार ही परीक्षा केन्द्र से बाहर निकल सकेगा।
- (6) अन्य आवश्यक निर्देश प्रवेश पत्र पर अंकित किये जाएंगे।

### सात – अनुचित साधन :-

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (Unfair Means) के अंतर्गत माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया जाएगा :-

- (1) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।
- (2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।
- (5) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (6) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी/अधिकारी को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी तरह क्षति पहुंचाना।

9/5/22  


## 2—मुख्य परीक्षा (400 अंक)

एक—(1) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र — मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित प्रति के साथ, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाये गये अभ्यर्थियों से बुलाये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जायेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल अभ्यर्थी को परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कराना होगा। उक्त समय के बाद मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी, भले ही उसने प्रवेश पत्र को संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो। उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) प्रवेश पत्र — मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा म. प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रिंटआउट की सुविधा मुख्य परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

दो — मुख्य परीक्षा की तिथि : बाद में अधिसूचित की जावेगी जो लगातार दो या अधिक दिनों में दो पालियों (शिफ्ट्स) में होगी।

तीन — मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम —

मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जावेगी, मुख्य परीक्षा में 04 (चार) प्रश्न पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल किये जायेंगे, मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी वह लगातार दो या अधिक दिनों में दो-दो पालियों (शिफ्ट्स) में संपन्न कराई जावेगी। पहले दिन प्रथम पाली (शिफ्ट) में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय पाली (शिफ्ट)

afsingh

Page 15 of 20

ay

में द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी इसी प्रकार दूसरे दिन प्रथम पाली (शिफ्ट) में तृतीय प्रश्न पत्र एवं द्वितीय पाली (शिफ्ट) में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी का उपरोक्त चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे शेष प्रश्न पत्र/पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसकी उत्तर-पुस्तिका(ओं) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त समझा जावेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

(अ) प्रथम प्रश्न पत्र – प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. भारत का संविधान                  | 2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 |
| 3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882      | 4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872  |
| 5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 | 6. परिसीमा अधिनियम, 1963        |
| (अध्याय – I, II and VI to VIII)     | (भाग – II & III)                |

(ब) द्वितीय प्रश्न पत्र – द्वितीय प्रश्न पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. लेख सामाजिक विषय पर           | – 30 अंक |
| 2. लेख विधिक विषय पर             | – 20 अंक |
| 3. संक्षिप्तिकरण लेखन            | – 20 अंक |
| 4. हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद | – 15 अंक |
| 5. अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद | – 15 अंक |

(स) तृतीय प्रश्न पत्र – तृतीय प्रश्न पत्र स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

- |  |  |
|--|--|
| 1. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 | 2. म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959                                     |
| 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872        | 4. भारतीय दंड संहिता, 1860   |
| 5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973          | 6. नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881<br>(धारा 138 से धारा 147 तक) |

(द) चतुर्थ प्रश्न पत्र – चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. विवाहकों का स्थिरीकरण            | – 10 अंक |
| 2. आरोपों की विरचना                 | – 10 अंक |
| 3. निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II) | – 40 अंक |
| 4. निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC) | – 40 अंक |



- नोट—**
1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखना होगा।
  2. संक्षिप्तिकरण लेखन, के लिए वादपत्र (Plaint), वादोत्तर (Written Statement) अथवा आरोप पत्र (Charge-sheet) /परिवाद पत्र (Complaint) की कॉपी दी जा सकेगी और अभ्यर्थी से उसके एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जा सकेगा।
  3. उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। किसी प्रकार की भिन्नता दोनों भाषाओं के प्रश्न में होने पर अंग्रेजी भाषा का प्रश्न मानक होगा।
  4. सभी प्रश्न-पत्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। यदि किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
  5. परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित नहीं करेंगे जिससे की परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके। चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन में परीक्षार्थी न्यायालय में किसी नाम का उल्लेख न कर "क, ख, ग" अथवा "अ, ब, स" का उल्लेख करेंगे। नाम का उल्लेख सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

**चार— मुख्य परीक्षा का परिणाम :-**

1. मुख्य परीक्षा में सभी चार प्रश्न पत्रों में मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. मुख्य परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से उक्तानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में से श्रेणीवार विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना (जो कम





हो सकती है) मेरिट में एवं समान अंक प्राप्त आवेदक को शामिल करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए चयनित किये जायेंगे।

3. अभ्यर्थी अपनी स्वयं की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Books) की सत्यापित प्रतिलिपि या उससे संबंधित जानकारी उच्च न्यायालय के आर.टी. आई. अनुभाग से विहित शुल्क अदा कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थात् चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा विधि विभाग को प्रेषित किये जाने के उपरांत प्राप्त कर सकेंगे

**नोट**—1. प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. परीक्षा के किसी भी स्तर पर अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा से संबंधित पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

### **3. साक्षात्कार**

**एक— साक्षात्कार** —मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक के क्रम से साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। परीक्षार्थियों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्थात् 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

**दो— अंतिम चयन का आधार** — अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

**नोट:**—साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।

*afsin* *02*